न्यायालय सहायक कलक्टर बाप केम्प लूणा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा R.A.S.

वादी

1. हाजी मोहम्मद पुत्र इमामखां
जाति तेली निवासी ग्राम बाप
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 67/2017

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. वादी की और से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी उपस्थित
2 प्रतिवादी सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित

निर्णय दिनांक:–

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प लूणा में पेश हुई। वादी के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी के पिता इमामखां पुत्र हसणेखां के नाम खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2533 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नंबर 2534 रकबा 2.03 बीघा व खसरा खसरा नंबर 2544/2966 रकबा 28.10 बीघा सरहद मौजा बाप तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वादी को दिनांक 18.08.2017 को जरिये रजिस्टर्ड बख्सीशनामा के बख्सीश कर दी ओर उक्त बख्सीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1671 मौजा बाप भरा जाकर वादी के पक्ष में स्वीकृत हुआ पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 1671 मौजा बाप भरते समय बख्सीशनामा में दर्ज वादी का नाम हाजी मोहम्मद पुत्र इमामखां के स्थान पर सरासर गलत तरीके से वादी का नाम कॉलम संख्या 9 में हाजी मोहम्मद पुत्र हसणे खां दर्ज कर दिया जो उक्त बख्सीशनामा के विरूद्व है। इसलिए वादी नामान्तरकरण संख्या 1670 को निरस्त करवाकर ग्राम बाप पटवार हल्का बाप के खसरा नंबर 2533 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नंबर 2534 रकबा 2.03 व खसरा नंबर 2544/2967 रकबा 14.05 बीघा भूमि में दर्ज वादी के स्थानत नाम हाजी मीर मोहम्मद उर्फ हाजी मोहम्मद पुत्र हसणे खां के स्थान पर माफिक बख्सीशनामा वादी का नाम हाजी मोहम्मद पुत्र इमाम खां के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामील प्राप्त होने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने उप. होकर जबाब पेश किया जो तामील मिसल किया गया।

पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि वाद पत्र माफिक इस्तदुआ अनुसार वादी का वाद स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने अपनी बहस में कहा कि वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किये जाने पर कोइ ऐतराज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पाया गया कि वादी हाजी मोहम्मद पुत्र हसणे खां के पिता इमाम खां ने खसरा नंबर 2533 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नंबर 2534 रकबा 2.03 व खसरा नंबर 2544/2966 रकबा 28.10 बीघा ग्राम बाप की भूमि में से 14.05 बीघा भूमि जरिये बख्सीशनामा अपने पुत्र वादी हाजी मोहम्मद पुत्र इमामखां को बक्सीश की थी। लेकिन पटवारी हल्का ने बक्सीश दस्तावेज अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1671 भरते समय वादी कानाम हाजी मोहम्मद पुत्र

सहायक कलक्टर-बाप

इमामखां के बजाय हाजी मोहम्मद पुत्र हसणेखां दर्ज कर दिया गया। जो अशुद्व दर्ज हो गया। वादी ने अपने वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व प्रतिवादी के जबाब से यह साबित होता है। कि वादी का नाम शुद्व दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए वादी का का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप स्थित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1671 मौजा बाप को निरस्त किया जाकर ग्राम बाप के खसरा नंबर 2533 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नंबर 2534 रकबा 2.03 बीघा व खसरा नंबर 2544/2967 रकबा 14.05 बीघा भूमि में दर्ज वादी का गलत नाम हाजी मीर मोहम्मद उर्फ हाजी मोहम्मद पुत्र हसणे खां के स्थान पर माफिक बख्सीशनामा वादी का सही नाम हाजी मोहम्मद पुत्र इमामखां के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टीया यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता है। माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। निर्णय की पालना हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के आयोजित केम्प अटल सेवा केन्द्र लूणा में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर-बाप
केम्प
बाप (जोधपुर)
राजस्व लोक अदालत-